

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 42 सन 2022

अनवान :-

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. प्रताप पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. गोपीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 10/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 291/462 की कुल 4.3010हैक् जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिंह पुत्र मोमनराम दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 32/15 की कुल 3.5420हैक् एव चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 113/111 की कुल 6.8310हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिंह दर्ज कर रखा तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 18/18 की कुल 7.3370हैक् भूमि में प्रार्थी संख्या 3 का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम दर्ज कर रखा है प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिंह प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिंह पुत्र मोमनराम , प्रार्थी संख्या 3 का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिंह , प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रताप पुत्र मोमनराम , प्रार्थी संख्या 3 का नाम गोपीराम पुत्र नत्थुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थीगण का नाम प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिंह , प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रताप पुत्र मोमनराम , प्रार्थी संख्या 3 का नाम गोपीराम पुत्र नत्थुराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है। -

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में प्रार्थीगण का नाम प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिंह प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिंह पुत्र मोमनराम , प्रार्थी संख्या 3 का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिंह , प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रताप पुत्र मोमनराम , प्रार्थी संख्या 3 का नाम गोपीराम पुत्र नत्थुराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 291/462 की कुल 4.3010हैक् जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिंह पुत्र मोमनराम दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 32/15 की कुल 3.5420हैक् एव चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 113/111 की कुल 6.8310हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिंह दर्ज कर रखा तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 18/18 की कुल 7.3370हैक् भूमि में प्रार्थी संख्या 3

उड अधिकारी  
नोहर

का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम दर्ज कर रखा है प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिह प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिह पुत्र मोमनराम, प्रार्थी संख्या 3 का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रताप पुत्र मोमनराम, प्रार्थी संख्या 3 का नाम गोपीराम पुत्र नत्थुराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थीगण का नाम प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रताप पुत्र मोमनराम, प्रार्थी संख्या 3 का नाम गोपीराम पुत्र नत्थुराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 291/462 की कुल 4.3010हैक् जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिह पुत्र मोमनराम दर्ज एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 32/15 की कुल 3.5420हैक् एव चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 113/111 की कुल 6.8310हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिह दर्ज कर रखा तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 18/18 की कुल 7.3370हैक् भूमि में प्रार्थी संख्या 3 का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रताप पुत्र मोमनराम, प्रार्थी संख्या 3 का नाम गोपीराम पुत्र नत्थुराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थीगण का नाम प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिह, प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रताप पुत्र मोमनराम, प्रार्थी संख्या 3 का नाम गोपीराम पुत्र नत्थुराम दर्ज है प्रार्थीगण ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार की अभिशप्ता के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतो /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 291/462 की कुल 4.3010हैक् जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिह पुत्र मोमनराम दर्ज के स्थान पर प्रतापसिह उर्फ प्रताप पुत्र मोमनराम एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाता संख्या 32/15 की कुल 3.5420हैक् एव चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 113/111 की कुल 6.8310हैक् भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिह दर्ज है के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिह तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 18/18 की कुल 7.3370हैक् में प्रार्थी संख्या 3 का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम दर्ज है के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपीराम पुत्र नत्थुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक/06/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर  
दिनांक :-  
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 42/2022 अनवानी राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-  
1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।  
2. प्रताप पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।  
3. गोपीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा -136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 42/2022 अनवानी राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार में दिनांक 10/06/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 291/462 की कुल 4.3010हैक् जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रतापसिंह पुत्र मोमनराम दर्ज के स्थान पर प्रतापसिंह उर्फ प्रताप पुत्र मोमनराम एवं रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाता संख्या 32/15 की कुल 3.5420हैक् एव चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 113/111 की कुल 6.8310हैक् भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र पुत्र भूपसिंह दर्ज है के स्थान पर राजेन्द्र उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र भूपसिंह तथा रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 18/18 की कुल 7.3370हैक् में प्रार्थी संख्या 3 का नाम रामगोपाल पुत्र नत्थुराम दर्ज है के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपीराम पुत्र नत्थुराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर